राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

क्रमांक – उनिकृ/लेखा/निविदा/2018-19/15716-22 दिनांक 18.1.19

निविदा सूचना संख्या 02/18–19

कार्यालय द्वारा संचालित कृषि योजनान्तर्गत आयोजित कृषक भ्रमण/प्रशिक्षण में चाय नाश्ता एवं भोजन तैयार/निर्मित हेतु वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार मद की वस्तुयें जब आवश्यकता हो के आधार पर सप्लाई करने के लिये वार्षिक दर पर अनुबंध हेतु पंजीकृत/अधिकृत फर्मो व्यक्तियों से सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा का नाम कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बयाना राशि (हजारों में)	निविदा शुल्क	निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने की तिथि एवं समय
1	कृषक भ्रमण/प्रशिक्षण में चाय, नाश्ता, भोजन, पानी की व्यवस्था	5.00 लाख	10000	200	दिनांक 29–01–2019 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी।
2	कृषक भ्रमण हेतु बस व्यवस्था	1.00 लाख	2000	200	

उपरोक्तानुसार मदवार सामान की सप्लाई हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित निविदा शुल्क कार्यालय में जमा करवा कर या उक्त राशि का डी.डी. उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के नाम से देय हो प्रस्तुत कर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें **http://sppp.raj.gov.in** व विभागीय वेबसाईट **www.krishi.rajasthan.gov.in** पर देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क की राशि का बैंकर चैक/डीडी निविदा के साथ पृथक से जमा करवाना अवश्यक होगा।

(वी. के. शर्मा)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद अजमेर

क्रमांक – उनिकृ/लेखा/निविदा/2018–19/15716-22 दिनांक 18.1.19

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार कृषि आयुक्तालय जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि जयपुर खण्ड जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट **www.krishi.rajasthan.gov.in** पर उक्त निविदा अपलोड करावें।
4. श्रीमान सम्पादक, दैनिक भास्कर अजमेर को डीपीआर दर पर मुद्रण हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
6. लेखा शाखा/भण्डारपाल कार्यालय हाजा।

(वी. के. शर्मा)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

निविदा प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर
2	निविदा सूचना संख्या	क्रमांक / उनिकृ / लेखा / निविदा / 2018-19 /
3	निविदा शुल्क राशि कृषक भ्रमण / प्रशिक्षण में चाय,नाश्ता,भोजन व्यवस्था	राशि 200/- नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... एवं धरोहर राशि नगद / बैंकर चैक / डीडी नं. / रसीद न .... दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गई है।
4	निविदा शुल्क राशि बस	राशि 200/- नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... एवं धरोहर राशि नगद / बैंकर चैक / डीडी नं. / रसीद न .... दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गई है।
5	निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पूर्ण पता	निविदादाता / व्यक्ति / फर्म का नाम .... फर्म का जीएटी रजिस्ट्रेशन न0.. टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....
6	निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	दिनांक 21-01-2019 से दि. 29-01-2019 को दोपहर 2.00 बजे तक
7	निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 29-01-2019 को दोपहर 4.00 बजे तक
8	अनुबंध अवधि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में जब आवश्यकता होने के आधार पर
9	कार्य का विवरण	वर्ष 2018-19 जब आवश्यकता हो के आधार पर जिले में संचालित विभिन्न योजना अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों एवं कृषक भ्रमण हेतु बस उपलब्ध कराना / चाय नाश्ता भोजन आपूर्ति की व्यवस्था करना
10	प्रस्तावित दर	संलग्न सूचि अनुसार

मैंने / हमने उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया है तथा मुझे / हमें बोली की समस्त शर्तें मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

198

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

वर्ष 2018–19

कृषक भ्रमण/प्रशिक्षणों/फिल्ड डें हेतु चाय, नाश्ता, भोजन हेतु प्रस्तावित दरें

क्र. सं.	कार्य का विवरण (भोजन शुद्ध देशी घी से निर्मित होगा)	प्रस्तावित दरें /प्रति डाईट	
		जिले की ग्राम पचायत/ग्राम स्तर पर दरे	कृषक भ्रमण (राज्य से बाहर) पर दरें
1	**भोजन (भरपेट भोजन) एवं नाश्ता प्रति डाईट नाश्ता** **सुबह** मिक्स पकौड़ी /चाय दोनों समय (100 एमएल) **भोजन** दाल, पूडी, मौसमी सब्जी, सलाद ,आचार, मोतीचूर लड्डू		

नोट–: 1. चाय,नाश्ता, भोजन, सभी की एक ही दर अंकित करें।
2 मोतीचूर लड्डू के एक पीस जिनका वजन 50 ग्राम प्रति पीस के लगभग होना चाहिए।
3 सब्जियां मौसम के अनुरूप होनी चाहिए।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता

....

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

निविदा की शर्ते

कार्यालय द्वारा वर्ष 2018–19 में विभागीय योजनान्तर्गत आयोजित कृषक भ्रमण, प्रशिक्षणों/फिल्ड डे में कृषकों को चाय, नाश्ता, जलपान, भोजन उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 2018–19 की शर्ते निम्नानुसार है: निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तों को ध्यान पूर्वक पढे एवं प्रत्येक पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर कृषक भ्रमण, प्रशिक्षण/फिल्ड डे में भोजन, चाय, नाश्ता हेतु निविदा" लिखकर ही प्रस्तुत करें। निविदा खुली होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा में किसी भी प्रकार की कांट छाट नही करे। ऐसी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
3. निविदादाता भोजन व्यवस्था के अधिकृत एवं अनुभवी फर्मो/व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत की जावे.
4. निविदादाता को अपने पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
5. खाना उच्च गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देशी घी में निर्मित चुपडी चपाती एवं सब्जियां शुद्ध मुंगफली के तेल में बनी हुई होनी चाहिये.
6. आपूर्ति निर्देशानुसार बताये गये स्थान एवं समय पर करनी होगी एवं निविदादाता को चाय, नाश्ता, भोजन निर्माण में उच्च क्वालिटि की सामग्री बनाने में प्रयुक्त करनी होगी
7. खाना पकाने एवं खाना खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एव अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. निविदा फार्म को पेन/बाल पेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावे, पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नही किया जायेगा। उसे अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
9. निविदादाता को निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तो एवं समझोते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है।
10. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी। पेन नं आवश्यक है।
11. निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में साफ–साफ लिखा हुआ अंकित होना चाहिये इनमें कोई त्रुटिया/अपरिलेखन/अशुद्धियां/कांट छांट नहीं होनी चाहिये।
12. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी; निविदादाता द्वारा लगाई गई शर्ते मान्य नही होगी।
13. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. प्रस्तुत दरें वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये आगामी 31.03.2019 तक के लिये ही मान्य होगी इस अवधि को कार्य संतोषपद होने पर ही आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा।
15. **निविदादाता द्वारा चाय, नाश्ता, भोजन आदि स्वयं के खर्चे पर वांछित प्रशिक्षण स्थल/कृषक भ्रमण पर ही भोजन तैयार किया जाएगा।**
16. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या उसे भाडे पर नहीं देगा।
17. निविदादाता को जिस दिन जिस आईटम सामग्री का उपयोग नही किया जायेगा उस दिन एवं आईटम का भुगतान देय नहीं होगा।
18. निम्न गुणवत्ता एवं विलम्ब से आपूर्ति के कारण उत्पन्न समस्त परिणामों/परिस्थितियों हेतु निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा

19. कृषक भ्रमण, प्रशिक्षण स्थल पर संबंधित प्रभारी अधिकारियों एवं उच्च अधिकारी प्रभारी द्वारा भोजन की जांच की जावेगी भोजन की गुणवत्ता सही नही पाये जाने अथवा शिकायत प्राप्त होने भुगतान नही किया जाएगा।
20. भोजन की गुणवत्ता पर शिकायत या संशय होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा जांच की जावेगी ।
21. निर्धारित समय/अवधि में कार्य संपादित नहीं करने पर उस समय की गई चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था की पूर्ण भुगतान राशि की वसूली निविदादाता से की जावेगी एवं नियमानुसार शास्ती आरोपित की जावेगी एवं हानियों की वसूली की जावेगी।
22. साईट से डाउनलोड किये हुये निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करने पर उसके साथ निविदा फार्म शुल्क के भुगतान एवं बयाना राशि का बैंकर चैक अथवा डीडी जो उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर को देय हो संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
23. विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
24. निविदा में दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है।
25. सफल निविदादाता को तीन दिवस के अन्दर नियमानुसार धरोहर राशि जमा करा कर निर्धारित करार हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
26. संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने, कार्य संतोषप्रद नहीं होने तथा निविदा मे सफल होने के उपरान्त भी कार्य नहीं करने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
27. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर व्यय आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
28. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।
29. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो में संशोधन का अधिकार उप निदेशक कृषि (विस्तार के पास सुरक्षित होगा।
30. सफल निविदादाता द्वारा रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा ।
31. सफल निविदादाता को नियमानुसार धरोहर राशि जमा करानी होगी ।
32. बिलों का भुगतान नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर किया जावेगा।

कृषक भ्रमण हेतु बस व्यवस्था के संबंध में निविदा की शर्तें

33. दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रस्तुत करें ।
34. बस सेमी डीलक्स अच्छी कण्डीशन में तथा 52 सीटर होनी चाहिये। बस का मॉडल वर्ष 2014 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
35. यदि बस किसी कारण खराब हो जाती है तो दूसरी बस की व्यवस्था तत्काल करनी होगी जिसका किसी भी प्रकार का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा ।
36. कार्यालय द्वारा जब भी बस की मांग की जावे उस समय तत्काल बस सही समय पर उपलब्ध करानी होगी । बस उपलब्ध नहीं कराने पर अन्य किराये की बस ले ली जावेगी जिसका किराया निविदादाता से वसूला जायेगा।
37. आप द्वारा प्रस्तुत दरें दिनांक 31.03.2019 तक मान्य होंगी। आपसी सहमति से दरों को आगे भी बढाया जा सकेगा। (डीजल व ऑयल की दरें बढोत्तरी होने पर भी दरें प्रभावित नहीं होंगी)
38. यात्रा के दौरान बस में पानी की व्यवस्था बस मालिक को ही करनी होगी।
39. बस में प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध रखनी होगी ।

40. राज्य से बाहर (अन्य राज्य में)किसी भी प्रकार का सरकारी टैक्स/टोल टैक्स यदि बस मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है तो मूल रसीद प्रस्तुत करनें पर उसका भुगतान कार्यालय व्दारा कर दिया जायेगा। राज्य के भीतर के समस्त कर/टोल टेक्स आदि का भुगतान निविदादाता को करना होगा। पार्किंग शुल्क कहीं का भी देय नही है। यदि बस का किसी भी प्रकार का चालान/शरित होता है तो उसकी समस्त प्रकार की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी ।

41. परमिट व्यय वाहन स्वामी द्वारा ही वहन किया जायेगा वाहन चालक को साथ में चल रहे विभागीय अधिकारियों के निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा । यदि विभाग के अधिकारियों व्दारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उस यात्रा का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

42. वाहन स्वामी को अपनें दूरभाष नम्बर तथा मोबाईल नम्बर भी निविदाओं में अंकित करनें होगें

43. सफल निविदादाता द्वारा रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा ।

44. सफल निविदादाता को नियमानुसार धरोहर राशि जमा करानी होगी।

45. निविदाओ को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

46. बिल के साथ लॉग बुक संधारित कर संलग्न करनी होगी। बिल में प्रारंभ के समय व यात्रा समाप्ति के समय के कि.मी. अंकित करना एवं भ्रमण प्रभारी से प्रमाणित कराना आवश्यक है।

47. निविदा में वाहन/वाहनों के नम्बर अंकित कर उनके कागजात प्रस्तुत करने होंगे सफल निविदाता को उन्ही वाहन/वाहनों को उपलब्ध कराना होगा।

48. वाहन चालक पूर्ण प्रशिक्षित व लाईसेंस धारक होना चाहिए।

49. कृषक भ्रमण एवं प्रशिक्षण के लक्ष्य अप्राप्त है। जो निर्धारित सीमा से कम/अधिक हो सकते है। अधिक होने पर सफल निविदादाता को बढी हुई धरोहर राशि जमा करानी होगी।

50. **निविदा की दरें जीएसटी रहित अंकित करें।**

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 50 तक की शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर